राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, झारखण्ड
State Level Bankers' Committee, Jharkhand

संयोजक : बैंक ऑफ़ इंडिया
रिश्तों की जमापूँजी

पत्रांक संख्या : रा° स्त° बै° स°/2025-26/301 **दिनांक : 19-11-2025**

राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, झारखंड के समस्त सदस्यों को पत्र

महोदय / महोदया,

विषय:- राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, झारखंड की 93वीं त्रैमासिक (सितम्बर 2025) समीक्षा बैठक की कार्यवृत्त

कृपया दिनांक 12.11.2025 को आयोजित राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, झारखंड की 93वी॰ त्रैमासिक बैठक का संदर्भ ग्रहण करें।

उक्त बैठक की कार्यवृत्त एवं कृत कार्यवाही रिपोर्ट आपके सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न किया जा रहा है, साथ ही हम आप सभी को अवगत कराना चाहते हैं कि संलग्न कार्यवृत्त को राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति झारखंड की वेबसाइट (www.slbcjharkhand.in) पर भी उपलब्ध कराया गया है।

आपसे अनुरोध है कि कृपया विभिन्न कार्य बिंदुओं पर आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करते हुए अद्यतन प्रगति हमें दिनांक 15 जनवरी 2026 तक प्रेषित करने का कष्ट करें, ताकि तदनुसार आगामी बैठक में इनका समावेशन किया जा सके।

भवदीय,

उप महाप्रबंधक
राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, झारखण्ड
संगलन:- उपरोक्त अनुसार

कार्यालय : ईश्वरी आर्केड, छठा तल, होटल रेडिसन ब्लू के सामने, 5, मेन रोड, राँची - 834001 • Office : Ishwari Arcade, 6th floor, Opposite Hotel Radisson Blu, 5, Main Road, Ranchi - 834001
Mob. : 9264452730, Tele : 0651-2332834, Tele/fax : 0651-2332319 • Email : SLBC.Jharkhand@bankofindia.co.in

राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, झारखण्ड
संयोजक: बैंक ऑफ इंडिया
दिनांक: 12-11-2025
स्थान– प्रोजेक्ट भवन, धुर्वा, राँची

राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, झारखण्ड की 93वीं त्रैमासिक बैठक की कार्यवृत

राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, झारखंड की 93वीं त्रैमासिक बैठक दिनांक 12 नवम्बर, 2025 को प्रोजेक्ट भवन, धुर्वा, राँची में संपन्न हुई। इस बैठक की अध्यक्षता बैंक ऑफ इंडिया के प्रधान कार्यालय से कार्यपालक निदेशक श्री सुब्रत कुमार ने की। बैठक में झारखंड सरकार के माननीय वित्त मंत्री श्री राधा कृष्ण किशोर मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हुए। बैठक में निम्नलिखित वरिष्ठ अधिकारीगण की उपस्थिति उल्लेखनीय रहे:

- श्री संदीप सिंह, भा०प्र०से, विशेष सचिव, वित्त विभाग, झारखंड सरकार
- श्री सुधीर बारा, भा०प्र०से, निदेशक, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, झारखंड सरकार
- श्री प्रेम रंजन प्रसाद सिंह, क्षेत्रीय निदेशक, भारतीय रिज़र्व बैंक, राँची
- श्रीमति दीपमाला घोष, मुख्य महाप्रबंधक, नाबार्ड, झारखंड क्षेत्रीय कार्यालय
- श्री गुरु प्रसाद गोंड, महाप्रबंधक, बैंक ऑफ इंडिया एवं संयोजक, एस.एल.बी.सी., झारखंड
- श्रीमती बिमला भगत, उप महाप्रबंधक, भारतीय रिज़र्व बैंक, राँची क्षेत्रीय कार्यालय
- श्री संतोष कुमार सिन्हा, उप महाप्रबंधक, एस.एल.बी.सी., झारखंड

इसके अतिरिक्त, सभी बैंकों के राज्य प्रमुख, सभी जिलों के अग्रणी जिला प्रबंधक, तथा केंद्र एवं राज्य सरकार के विभिन्न विभागों के वरीय अधिकारीगण भी इस बैठक में उपस्थित रहे।

बैठक का विधिवत शुभारंभ मंचासीन विशिष्ट अतिथियों द्वारा दीप प्रज्ज्वलन के साथ हुआ। इसके उपरांत झारखंड राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की 93वीं पुस्तिका का लोकार्पण सम्मानित अतिथियों द्वारा किया गया।
बैठक में क्रमशः सभा अध्यक्ष की अनुमति से विभिन्न मंचासीन गणमान्यों को सभा सम्बोधन हेतु आमंत्रित किया गया, जिनके अभिभाषण के मुख्य बिन्दु निम्नतः रहे-

क) राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति के महाप्रबंधक श्री गुरु प्रसाद गोंड का सम्बोधन-

सर्वप्रथम, महाप्रबंधक, एसएलबीसी ने माननीय वित्त मंत्री, झारखण्ड सरकार; सभी बैंकों के राज्य प्रमुखों; अग्रणी जिला प्रबंधकों; तथा भारत सरकार एवं राज्य सरकार के विभिन्न विभागों का राज्य में बैंकिंग गतिविधियों को निरंतर गति प्रदान करने के लिए आभार व्यक्त किया। साथ ही, उन्होंने वित्तीय वर्ष 2025-26 में राज्य द्वारा प्राप्त कुछ प्रमुख उपलब्धियों की ओर सदन का ध्यान आकृष्ट किया।

- श्री गुरु प्रसाद गोंड ने कहा कि एसएलबीसी की प्रमुख भूमिका राज्य के विकास पर केंद्रित रहते हुए वित्तीय संस्थाओं के साथ प्रभावी समन्वय स्थापित करना है, ताकि बैंकिंग सेवाएँ समाज के अंतिम व्यक्ति तक सुगमता से पहुँच सकें।

  उन्होंने बताया कि इसी दिशा में कार्य करते हुए 30.09.2025 तक राज्य में 2 करोड़ से अधिक प्रधानमंत्री जनधन योजना खाते खोले जा चुके हैं, जो अपने आप में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि एवं मील का पत्थर है। श्री गोंड ने इस सराहनीय उपलब्धि के लिए सभी बैंकों और एलडीएम को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएँ दीं।

(एक्शन- सभी सदस्यों की जानकारी हेतु)

- एसएलबीसी के महाप्रबंधक ने कहा कि वित्तीय समावेशन का प्रमुख उद्देश्य हर व्यक्ति को बैंकिंग सुविधाओं से जोड़ना है, ताकि उनके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाया जा सके। इसी लक्ष्य के अंतर्गत DFS द्वारा झारखंड राज्य में बैंकों को 21 स्थानों पर नई Brick and Mortar शाखाएँ खोलने हेतु आवंटन किया गया था।

  उन्होंने बताया कि चिन्हित शाखाओं के खुलने की अब तक की प्रगति संतोषजनक नहीं रही है। महाप्रबंधक ने संबंधित बैंकों से आग्रह किया कि वे इन चिन्हित स्थानों पर brick and mortar शाखाएँ खोलने को प्राथमिकता दें और निर्धारित लक्ष्यों को समयबद्ध रूप से पूरा करें। उन्होंने आगे बताया कि अब तक बैंक ऑफ बड़ौदा ने इस कार्य को प्राथमिकता देते हुए निर्धारित स्थान पर शाखा खोल दी है। इस पहल को सराहते हुए श्री गोंड ने बैंक ऑफ बड़ौदा के राज्य प्रमुख की प्रशंसा की और इसे अन्य बैंकों के लिए एक प्रेरक उदाहरण बताया।

(एक्शन- सभी चिन्हित बैंक)

- महाप्रबंधक, एसएलबीसी ने बताया कि 1 जुलाई से 30 सितंबर तक आयोजित तीन महीने के FI संतृप्ति शिविर, जिसे बाद में 30 अक्टूबर तक बढ़ाया गया था, राज्य में वित्तीय समावेशन को सुदृढ़ करने में महत्वपूर्ण रहा। उन्होंने अभियान के दौरान निरंतर सहयोग प्रदान करने के लिए आरबीआई के क्षेत्रीय निदेशक और उनकी टीम के प्रति अपना आभार व्यक्त किया।

  उन्होंने यह भी बताया कि अभियान के अंतर्गत ग्राम पंचायत स्तर पर कुल 4,344 शिविर आयोजित किए गए, जिनमें 3.56 लाख पीएमजेडीवाई खाते खोले गए, 5.35 लाख पीएमजेजेबीवाई खातों का नामांकन किया गया, 8.41 लाख पीएमएसबीवाई खाते नामांकित हुए और 1.64 लाख एपीवाई लाभार्थियों को जोड़ा गया। इसके अतिरिक्त, अभियान के दौरान 33.60 लाख पुनः-केवाईसी पूरी की गईं। महाप्रबंधक ने इस अभियान के सफल संचालन में योगदान देने के लिए सभी बैंकों और अग्रणी जिला प्रबंधकों के प्रयासों की सराहना की।

(एक्शन- सभी सदस्यों की जानकारी हेतु)

- पिछली एसएलबीसी बैठक का संदर्भ लेते हुए, जिसमें माननीय कृषि मंत्री ने नए केसीसी खाते खोलने, वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने तथा नो-फ्रिल खाते खोलने के लिए ब्लॉक स्तरीय शिविर आयोजित करने की सलाह दी थी, एसएलबीसी के महाप्रबंधक ने बताया कि इस दिशा में 15 सितंबर से 15 अक्टूबर तक ब्लॉक स्तरीय शिविर आयोजित किए गए।

  उन्होंने बताया कि इस अभियान के दौरान 6,451 नए केसीसी खाते, 7,658 छात्र के खाते खोले गए और 64,697 लाभार्थियों को विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में नामांकित किया गया। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि इन उपलब्धियों के अतिरिक्त, 4 नए एफपीओ को वित्तपोषित किया गया तथा केसीसी पर शीघ्र पुनर्भुगतान पर 0% ब्याज दर से संबंधित जागरूकता भी शिविरों का महत्वपूर्ण हिस्सा थी।

  श्री गोंड ने कृषि विभाग और स्कूली शिक्षा विभाग, झारखंड सरकार को विशेष धन्यवाद दिया, जिनकी सक्रिय सहभागिता से यह अभियान सफल हो सका। उन्होंने प्रखंड विकास पदाधिकारियों, DDM नाबार्ड, तथा अग्रणी जिला प्रबंधकों के प्रति भी अपना आभार व्यक्त किया और अभियान के सफल संचालन के लिए उन्हें हार्दिक धन्यवाद दिया।

(एक्शन- सभी सदस्यों की जानकारी हेतु)

- अपने संबोधन में श्री गुरु प्रसाद गोंड ने राज्य सरकार से अनुरोध किया कि भूमि स्वामित्व प्रमाण-पत्र (LPC) के बिना केसीसी ऋण सीमा को 1.00 लाख रुपये से बढ़ाकर 2.00 लाख रुपये करने पर विचार किया जाए। उन्होंने बताया कि सीमा में बढ़ोतरी राज्य के सभी बैंक कि मांग है। श्री गोंद ने आगे कहा कि राज्य के अधिकांश किसान लघु एवं सीमांत वर्ग के हैं और LPC के अभाव में उन्हें केसीसी ऋण प्राप्त करने में गंभीर कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।

राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति झारखंड BOI

उन्होंने कहा कि इस दिशा में सुधार से किसानों को ऋण उपलब्धता में बड़ी सुविधा मिलेगी तथा बैंकिंग प्रणाली भी उन्हें अधिक प्रभावी रूप से सहयोग प्रदान कर सकेगी।

(एक्शन- राज्य सरकार)

- अंत में महाप्रबंधक महोदय ने कहा कि बैंकर समुदाय को राज्य सरकार से यह अपेक्षा है कि CNT एक्ट के अंतर्गत संपत्ति के विरुद्ध ऋण वित्तपोषण से संबंधित विषय, जिस पर पहली बार सकारात्मक रूप से चर्चा प्रारंभ हुई है, उसका कोई न कोई व्यवहारिक समाधान अवश्य निकलेगा।

  उन्होंने यह भी कहा कि यदि इस संबंध में किसी प्रकार की व्यावहारिक छूट या विकल्प प्रदान किए जाते हैं, तो इससे हमारे SC/ST एवं OBC वर्ग के भाई-बहनों के लिए ऋण उपलब्धता के नए अवसर खुलेंगे, जिससे सामाजिक एवं आर्थिक सशक्तिकरण को गति मिलेगी।

(एक्शन- राज्य सरकार)

अपने अभिभाषण के अंत में महाप्रबंधक, एसएलबीसी ने **RBI**, राज्य सरकार, **NABARD** को उचित मार्गदर्शन एवं अन्य हितधारकों को परस्पर सहयोग के लिए धन्यवाद दिया और यह आश्वासन दिया कि आने वाले दिनों में एस.एल.बी.सी के सभी हितधारक अपनी भूमिका को उचित तथा प्रभावी ढंग से निष्पादित करने मे अहम भूमिका अदा करेंगे।

ख) व्यवसायिक सत्र

व्यावसायिक सत्र का संचालन राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति के वरिष्ठ प्रबंधक श्री रौशन चौधरी द्वारा किया गया। इस सत्र के दौरान सभा अध्यक्ष श्री सुब्रत कुमार तथा अन्य गणमान्य अतिथियों की सहभागिता में श्री चौधरी ने सभी बैंकों एवं अग्रणी जिला प्रबंधकों की समीक्षा की।श्री रौशन चौधरी ने अवगत कराया कि पिछली एसएलबीसी बैठक के कार्यवृत्त में संशोधन हेतु कोई अनुरोध प्राप्त न होने के कारण, 92वीं एसएलबीसी बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि की जाती है।

सत्र के दौरान चर्चा में आए कुछ प्रमुख बिंदु एवं महत्वपूर्ण मुद्दे निम्नलिखित रहे::

- 92वीं एसएलबीसी बैठक में हुई चर्चा का उल्लेख करते हुए, जिसमें एसएलबीसी को सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के तहत निजी क्षेत्र के बैंकों के प्रदर्शन की समीक्षा करने और सुधार न होने की स्थिति में उनके मुख्यालयों को पत्र लिखने की सलाह दी गई थी, श्री चौधरी ने सदन को अवगत कराया कि 30.09.2025 तक 19 बैंकों का प्रदर्शन सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के अंतर्गत असंतोषजनक पाया गया। उन्होंने बताया कि इस संदर्भ में एसएलबीसी ने इन बैंकों के मुख्यालयों को चालू वित्त वर्ष के अंत तक सुधार सुनिश्चित करने हेतु पत्र प्रेषित किया है।

  इस संबंध में बंधन बैंक से सामाजिक सुरक्षा योजना के अंतर्गत उनके प्रदर्शन के बारे में पूछताछ की गई। बैंक के प्रतिनिधि ने सदन को अवगत कराया कि बैंक को इस विषय पर एसएलबीसी कार्यालय से पत्र प्राप्त हुआ है, किंतु सामाजिक सुरक्षा योजना से संबंधित डेटा पोर्टल पर अपडेट नहीं होने के कारण बंधन बैंक का प्रदर्शन कम प्रदर्शित हो रहा है।

  इस पर क्षेत्रीय निदेशक, भारतीय रिज़र्व बैंक ने बंधन बैंक द्वारा दिए गए उत्तर पर असंतोष व्यक्त किया और कहा कि राज्य के सभी ग्राम पंचायतों में चार माह का एफआई संतृप्ति शिविर, सभी सदस्य बैंकों की भागीदारी के साथ, सामाजिक सुरक्षा योजना पर विशेष ध्यान देते हुए आयोजित किया गया था। उन्होंने आगे सभी 19 सदस्य बैंकों को सलाह दी कि यदि अब तक पोर्टल पर सामाजिक सुरक्षा योजना से संबंधित आंकड़े अपडेट नहीं किए गए हैं, तो वे तत्काल—अधिकतम सात दिनों के भीतर—उन्हें अपडेट करें तथा सामाजिक सुरक्षा योजना के अंतर्गत अपने प्रदर्शन में सुधार सुनिश्चित करें।

(एक्शन- समस्त निजी क्षेत्र के बैंक)

राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति BOI झारखण्ड

- 92वीं एसएलबीसी बैठक में माननीय कृषि मंत्री द्वारा उठाए गए उस मुद्दे का संदर्भ देते हुए, जिसमें माननीय मंत्री यह जानना चाहते थे कि बैंकों को कितने मुद्रा आवेदन प्राप्त हुए, कितने स्वीकृत हुए तथा कितने वितरित किए गए, श्री चौधरी ने बताया कि इस संबंध में एसएलबीसी द्वारा सभी सदस्य बैंकों से आंकड़े मांगे गए थे। बैंकों द्वारा प्रस्तुत जानकारी के आधार पर कुल 2.02 लाख आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से 1.94 लाख आवेदन स्वीकृत किए गए, 1.94 लाख आवेदन राशि के साथ वितरित किए गए, तथा 0.12 लाख आवेदन अस्वीकृत पाए गए।

  उन्होंने आगे अवगत कराया कि 6 बैंकों—***फेडरल बैंक, आईडीबीआई बैंक, कर्नाटक बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, एसआईबी तथा आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और उत्कर्ष एसएफबी***—ने अब तक डेटा प्रस्तुत नहीं किया है। श्री चौधरी ने यह भी उल्लेख किया कि एक्सिस बैंक द्वारा प्रस्तुत डेटा त्रुटिपूर्ण है। उपरोक्त सभी बैंकों को नवंबर महीने के भीतर सही डेटा उपलब्ध कराने की सलाह दी गई थी।

(एक्शन- ऊपर दिये गए बैंक)

- श्री रोशन चौधरी ने सदन को अवगत कराया कि पिछली एसएलबीसी बैठक में माननीय कृषि मंत्री ने गुरुजी क्रेडिट कार्ड योजना के संबंध में सदस्य बैंकों तथा उच्च शिक्षा विभाग के साथ एक बैठक आयोजित करने का सुझाव दिया था, ताकि योजना के संबंध में आवश्यक फीडबैक प्राप्त किया जा सके। उन्होंने बताया कि इस संदर्भ में 30 अक्टूबर को विभाग, एसएलबीसी तथा 09 सदस्य बैंकों की सहभागिता से एक बैठक आयोजित की गई थी, जिसकी कार्यवाही माननीय वित्त मंत्री, माननीय कृषि मंत्री तथा मुख्य सचिव के कार्यालय के साथ साझा कर दी गई है।

  इस संबंध में श्री सुधीर बारा ने बैठक की कार्यवाही का संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत करते हुए बताया कि बैंकरों से प्राप्त सुझाव उच्च स्तरीय समिति के समक्ष विचारार्थ रखे गए हैं।

  माननीय वित्त मंत्री ने गुरुजी क्रेडिट कार्ड योजना के अंतर्गत आवेदनों की उच्च अस्वीकृति दर तथा बैंकों के पास बड़ी संख्या में लंबित आवेदनों पर असंतोष व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत राज्य का प्रदर्शन अत्यंत निराशाजनक है। साथ ही, उन्होंने सभी बैंकों को 15 दिसंबर, 2025 तक अपने सभी लंबित मामलों का निस्तारण सुनिश्चित करने की सलाह दी।

  माननीय वित्त मंत्री ने यह भी निर्देश दिया कि अगली एसएलबीसी बैठक में एसएलबीसी लंबित आवेदनों में की गई कमी, आवेदनों की आयु-वार लंबितता तथा आवेदनों को अस्वीकार किए जाने के कारणों के संबंध में विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करे।

(एक्शन- उच्च शिक्षा विभाग, एसएलबीसी एवं बैंक)

- सदन को अवगत कराया गया कि झारखंड राज्य में कुल एटीएम की संख्या में कमी दर्ज की गई है, जिसका प्रमुख कारण आईसीआईसीआई बैंक है। सदन को यह भी बताया गया कि आईसीआईसीआई बैंक के एटीएम की संख्या में वर्ष-दर-वर्ष 76 की कमी आई है।

  बैंक के प्रतिनिधि ने सदन को सूचित किया कि मौजूदा विक्रेताओं के साथ अनुबंध समाप्त कर दिया गया है, जिसके परिणामस्वरूप सभी ऑफ-साइट एटीएम बंद कर दिए गए हैं। हालांकि, बैंक अपनी शाखाओं में नए एटीएम स्थापित करने की प्रक्रिया में है।

  बैंक, एटीएम हेतु नए विक्रेता के ऑनबोर्डिंग की समय-सीमा बताने में असमर्थ रहा तथा उन्होने यह बताया कि संबंधित विभाग से परामर्श के उपरांत अद्यतन जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी।

(एक्शन- आईसीआईसीआई बैंक)

- माननीय वित्त मंत्री ने झारखंड राज्य में वर्ष 2025-26 हेतु निर्धारित शाखा-खोलने के लक्ष्य के बारे में जानकारी चाही। इस संबंध में श्री चौधरी ने अवगत कराया कि वित्तीय सेवाएँ विभाग द्वारा राज्य में नई शाखाएँ खोलने के लिए 29 स्थानों की पहचान की गई थी। इनमें से 8 स्थानों पर पहले से ही brick and mortar शाखाएँ संचालित हैं, जबकि शेष 21 स्थान सदस्य बैंकों को नई शाखाएँ स्थापित करने हेतु आवंटित किए गए हैं।

उन्होंने सदन को यह भी बताया कि आवंटित 21 स्थानों में से अब तक केवल **बैंक ऑफ बड़ौदा** ने अपनी शाखाएँ खोली हैं। उन्होंने शेष सदस्य बैंकों से आग्रह किया कि वे शेष स्थानों पर brick and mortar शाखाएँ खोलने की प्रक्रिया में तीव्रता लाएँ और इसे प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण करें।

श्री चौधरी ने अवगत कराया कि नई शाखाएँ खोलने के संबंध में बैंकों से विस्तृत रिपोर्ट मंगाई जाएगी और इसकी जानकारी अगली बैठक में सदन के समक्ष प्रस्तुत की जाएगी।

भारतीय रिज़र्व बैंक के क्षेत्रीय निदेशक ने बैंकों को सुझाव दिया कि वे ***डीएफएस द्वारा निर्धारित स्थानों के अनुसार दिसंबर 2025*** तक brick and mortar शाखाएँ खोलने की प्रक्रिया पूर्ण करें। साथ ही, उन्होंने कहा कि आवंटित स्थानों पर नई शाखाएँ खोलने की प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की समस्या उत्पन्न होने पर बैंक उसे सदन के संज्ञान में लाएँ, ताकि आवश्यक सहायता प्रदान की जा सके।

माननीय वित्त मंत्री ने सुझाव दिया कि शाखाएँ खोलने के लिए भी, एसीपी की तर्ज पर, सदस्य बैंकों के लिए वार्षिक लक्ष्य निर्धारित किए जाए, ताकि इस दिशा में प्रगति सुनिश्चित की जा सके।

(एक्शन- एसएलबीसी, समस्त बैंक)

- भारतीय रिज़र्व बैंक के क्षेत्रीय निदेशक ने अवगत कराया कि देशभर में वित्तीय समावेशन के स्तर को मापने वाले भारतीय रिज़र्व बैंक के एफआई संकेतक के अनुसार गोड्डा, जामताड़ा, गुमला, साहिबगंज, पाकुड़, चतरा और सिमडेगा ज़िलों का प्रदर्शन सबसे कमज़ोर पाया गया है।

  उन्होंने आगे बताया कि इन ज़िलों का प्रदर्शन राष्ट्रीय औसत की तुलना में कम है। अतः उन्होंने इन ज़िलों के अग्रणी जिला प्रबन्धकों को अपने-अपने क्षेत्रों में वित्तीय समावेशन से संबंधित प्रदर्शन में सुधार लाने हेतु आवश्यक कदम उठाने तथा कार्ययोजना बना कर जमा करने की सलाह दी।

(एक्शन- ऊपर दिये समस्त अग्रणी जिला प्रबन्धक)

- श्री चौधरी ने सदन को अवगत कराया गया कि एसएलबीसी को बैंकों द्वारा समय पर डेटा प्रस्तुत करना अत्यंत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि एसएलबीसी को विभिन्न हितधारकों के साथ बैठकें आयोजित करने एवं समेकित रिपोर्ट तैयार करने के लिए समयबद्ध डेटा की आवश्यकता होती है। किन्तु, इंडसइंड बैंक द्वारा एसएलबीसी को डेटा प्रस्तुत करने में लगातार देरी की जा रही है।

  उन्होने साथ ही यह भी उल्लेख किया गया कि पिछले वर्ष की तुलना में इंडसइंड बैंक के सूक्ष्म उद्यम खातों की संख्या में 55,000 की कमी दर्ज की गई है। इस संबंध में बैंक से दोनों मुद्दों पर अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया।

(एक्शन- इंडसइंड बैंक)

- श्री चौधरी ने अवगत कराया कि इंडसइंड बैंक के एनपीए खातों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है। बताया गया कि बैंक के एनपीए खातों में 1100 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। 30.09.2024 तक एनपीए खातों की संख्या 21,362 थी, जो अब बढ़कर 2,53,000 हो गई है।

  सदन ने बैंक को सलाह दी कि वह उपरोक्त आंकड़ों का विस्तृत विश्लेषण करे तथा एनपीए में हुई इस अत्यधिक वृद्धि के कारणों पर स्पष्ट स्पष्टीकरण प्रस्तुत करे।

(एक्शन- इंडसइंड बैंक)

- सदन में राज्य में निष्क्रिय बैंकिंग कॉरेस्पोंडेंट (BC) की स्थिति पर चर्चा की गई। बताया गया कि 30.09.2025 तक राज्य में कुल 30,000 निष्क्रिय बैंकिंग कॉरेस्पोंडेंट हैं, जिनमें से 24,000 केवल फिनो पेमेंट बैंक से संबंधित हैं।

  श्री चौधरी ने अवगत कराया कि पिछली एसएलबीसी बैठक में फिनो पेमेंट बैंक को अपनी निष्क्रिय बैंकिंग कॉरेस्पोंडेंट संख्या में 80 प्रतिशत तक कमी लाने का सुझाव दिया गया था। तथापि, पिछले तिमाही की तुलना में बैंक के निष्क्रिय BC की संख्या में कमी आने के बजाय वृद्धि देखी गई है।

  बैंक के प्रतिनिधि ने सदन को अवगत कराया कि निष्क्रिय बैंकिंग कॉरेस्पोंडेंट (BC) को हटाने के संबंध में आरबीआई से अनुमोदन अभी भी लंबित है। उनके अनुसार, बैंक स्तर पर इन निष्क्रिय BC को

हटाने की प्रक्रिया पूर्ण कर ली गई है, किंतु यह कार्य कॉर्पोरेट कार्यालय में लंबित रहने के कारण बैंक इन्हें सिस्टम से हटाने में असमर्थ है।

इस पर एजीएम, आरबीआई ने बैंक को निर्देश दिया कि वे आवश्यक कार्रवाई हेतु भारतीय रिज़र्व बैंक, रांची क्षेत्रीय कार्यालय से संपर्क स्थापित करें।

(एक्शन- फिनो पेमेंट बैंक)

- जेआरजी बैंक के अध्यक्ष ने केवीआईसी से मिलने वाली सब्सिडी में देरी पर चिंता व्यक्त की, जिसके कारण पीएमईजीपी ऋण खातों में एनपीए बढ़ रहा है। उन्होंने बताया कि सब्सिडी समय पर उपलब्ध न होने के चलते ग्राहकों से अधिक ब्याज वसूलना पड़ रहा है, जिससे खातों के एनपीए होने की प्रवृत्ति बढ़ रही है। उन्होंने केवीआईसी विभाग से आग्रह किया कि वे बैंकों को सब्सिडी जारी करने की प्रक्रिया में आवश्यक तेजी सुनिश्चित करें।

(एक्शन- केवीआईसी)

- जेआरजी बैंक के अध्यक्ष ने सदन में भारी एनपीए की समस्या पर प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि सर्टिफिकेट मामलों में डिफॉल्टरों को वारंट/समन जारी नहीं किए गए हैं तथा SARFAESI मामलों में जिला मजिस्ट्रेट/उपायुक्त की अनुमति के अंतर्गत बड़ी संख्या में प्रकरण लंबित हैं। उन्होंने राज्य सरकार से SARFAESI मामलों के शीघ्र निपटारे हेतु आवश्यक हस्तक्षेप करने का अनुरोध किया।

  इस पर प्रतिक्रिया देते हुए श्री चौधरी ने सदन को अवगत कराया कि वित्त विभाग द्वारा सभी जिला कलेक्टर/जिला मजिस्ट्रेट को लंबित SARFAESI मामलों के त्वरित निष्पादन हेतु पत्र जारी किया जा चुका है। उन्होंने यह भी बताया कि SLBC द्वारा प्रमाणपत्र मामलों (Certificate Cases)एवं लंबित SARFAESI मामलों पर बैठक आयोजित करने के लिए वित्त विभाग के साथ विचार-विमर्श किया गया है, तथा यह बैठक अत्यंत शीघ्र आयोजित की जाएगी।

(एक्शन- राज्य सरकार)

- जेआरजी बैंक के अध्यक्ष ने सदन में यह चिंता व्यक्त की कि गढ़वा रजिस्ट्री कार्यालय द्वारा रजिस्ट्री के दौरान निर्धारित दर से अधिक शुल्क लिए जा रहे हैं।

  सदन ने अध्यक्ष से अनुरोध किया कि वे इस संबंध में विस्तृत तथ्यात्मक जानकारी राज्य सरकार को उपलब्ध कराएँ, ताकि आवश्यक कार्रवाई की जा सके।

(एक्शन- राज्य सरकार एवं जेआरजी बैंक)

- इंडियन बैंक के उप महाप्रबंधक ने झारखंड राज्य में आरआरसी (Recovery Certificate) जारी करने में आ रही समस्याओं पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने सुझाव दिया कि राज्य सरकार भुइयां पोर्टल के छत्तीसगढ़ मॉडल को अपनाने पर विचार करे, जिससे आरआरसी जारी करने की प्रक्रिया अधिक प्रभावी और सुगम हो सके।

(एक्शन- राज्य सरकार)

- श्री रोशन चौधरी ने उन मुद्दों पर प्रकाश डाला जहाँ राज्य सरकार से सहयोग अपेक्षित है। प्रमुख बिंदु निम्नलिखित हैं:
  1. CNT/SPT अधिनियम राज्य में ऋण प्रवाह की एक प्रमुख बाधा बने हुए हैं। भूमि को बंधक न रख पाने के कारण न केवल बड़े उद्योगों को ऋण देना कठिन है, बल्कि खुदरा आवास ऋण का विस्तार भी बैंकों के लिए एक चुनौती बनी हुई है। परिणामस्वरूप, जिस भूमि पर बड़े उद्योग स्थापित होने चाहिए थे, उसका उपयोग केवल छोटे कारोबार, जैसे नर्सरी आदि, तक ही सीमित रह गया है।

2. LPC/भूमि कब्जा प्रमाण पत्र: वर्तमान में झारखंड में बैंकों द्वारा बिना LPC के केवल ₹1 लाख तक का केसीसी ऋण स्वीकृत किया जा रहा है। राज्य सरकार से अनुरोध है कि इस सीमा को बढ़ाकर ₹2 लाख किया जाए, ताकि किसानों को सहज रूप से ऋण उपलब्ध हो सके और कृषि विकास को प्रोत्साहन मिले। उल्लेखनीय है कि भारतीय रिज़र्व बैंक के निर्णय के अनुसार बिना गारंटी के ₹2 लाख तक का ऋण प्रदान करने की अनुमति है।
3. रजिस्ट्रार/सब-रजिस्ट्रार के साथ चार्ज की नोटिंग: बैंकों के पास बंधक रखी जाने वाली प्रत्येक संपत्ति पर बैंक के चार्ज/अधिकार की ऑनलाइन नोटिंग यदि रजिस्ट्रार अथवा सब-रजिस्ट्रार कार्यालय के माध्यम से सुनिश्चित की जाए तो इससे पारदर्शिता में वृद्धि होगी। भारत सरकार के Digital India Land Record Modernization Program (DILRMP) के निर्देशों का पालन करते हुए यदि एनआईसी एवं भू-निबंधन निदेशालय इस दिशा में ठोस पहल करें तो धोखाधड़ी के मामलों में उल्लेखनीय कमी लाई जा सकेगी।
4. स्कूली पाठ्यक्रम में वित्तीय साक्षरता: भारतीय रिज़र्व बैंक ने उप-समिति की बैठक में अवगत कराया कि वित्तीय साक्षरता से संबंधित 70 अध्यायों में से 37 अध्याय स्कूल पाठ्यक्रम में सम्मिलित किए जा चुके हैं। राज्य सरकार से अपेक्षा है कि शेष अध्यायों को भी यथाशीघ्र पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए, जिससे विद्यार्थियों में वित्तीय जागरूकता को और अधिक सुदृढ़ किया जा सके।

(एक्शन- राज्य सरकार)

ग) निदेशक, वित्तीय सेवाएँ विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार श्री अंजनी कुमार ठाकुर का सम्बोधन-

- श्री ठाकुर ने अपने संबोधन में कहा कि 93वीं एसएलबीसी बैठक में शामिल होना उनके लिए सौभाग्य की बात है। उन्होंने कहा कि इस बैठक का मुख्य उद्देश्य बैंकों के प्रदर्शन का मूल्यांकन करना, हितधारकों से प्राप्त सुझावों एवं फीडबैक का संकलन करना, तथा आगामी तीन महीनों के लिए प्रभावी कार्ययोजना तैयार करना है।

(एक्शन- सभी सदस्यों की जानकारी हेतु)

- वित्तीय सेवा विभाग के निदेशक ने 01 जुलाई से 30 सितंबर तक झारखंड राज्य में ग्राम पंचायत स्तर पर आयोजित तीन महीने के एफआई संतृप्ति शिविरों के सफल आयोजन के लिए एसएलबीसी–झारखंड की सराहना की, जिसे बाद में बढ़ाते हुए 31 अक्टूबर 2025 तक किया गया। उन्होंने आगे कहा कि वित्तीय समावेशन पहल, री-केवाईसी मामलों के अद्यतन, तथा 2 करोड़ से अधिक पीएमजेडीवाई खातों के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में एसएलबीसी ने अत्यंत सराहनीय कार्य किया है।

(एक्शन- सभी सदस्यों की जानकारी हेतु)

- श्री ठाकुर ने झारखंड राज्य में कम ऋण–जमा अनुपात के मुद्दे पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि भारतीय रिज़र्व बैंक के मानकों के अनुसार सीडी अनुपात 60% होना चाहिए, जबकि झारखंड राज्य में सितंबर 2025 तक यह अनुपात केवल 52.18% है।

  उन्होंने आगे बताया कि कम सीडी अनुपात का अर्थ है कि राज्य में ऋण प्रवाह अपेक्षित स्तर से कम है, जो आर्थिक गतिविधियों को प्रभावित करता है।इस संदर्भ में उन्होंने एसएलबीसी से अनुरोध किया कि कम सीडी अनुपात वाले जिलों की पहचान कर, उन्हें राज्य के औसत स्तर तक लाने हेतु ठोस रणनीति और प्रभावी कदम तैयार किए जाएँ।

(एक्शन-एसएलबीसी)

- डीएफएस निदेशक ने कहा कि सभी एसएलबीसी बैठकों में निजी क्षेत्र के बैंकों के प्रदर्शन पर विशेष बल दिया गया है, फिर भी वित्तीय समावेशन पहलों के अंतर्गत उनका प्रदर्शन सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की तुलना में अभी भी संतोषजनक नहीं है।

उन्होंने सभी निजी क्षेत्र के बैंकों को सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के अंतर्गत अपने प्रदर्शन में सुधार लाने पर प्राथमिकता से ध्यान केंद्रित करने की सलाह दी।

(एक्शन- समस्त निजी क्षेत्र के बैंक)

- निदेशक, डीएफएस ने बैंकों से आग्रह किया कि वे प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में वित्तपोषण को और अधिक सुदृढ़ करने पर विशेष ध्यान दें। उन्होंने उल्लेख किया कि माननीय वित्त मंत्री द्वारा पिछली एसएलबीसी बैठक में दिए गए निर्देशों के अनुरूप, प्राथमिकता क्षेत्र में ऋण प्रवाह बढ़ाना अत्यंत आवश्यक है।

(एक्शन- समस्त बैंक)

- श्री ठाकुर ने अपने संबोधन में बैंकों से आग्रह किया कि वे सीएसआर के अंतर्गत किए जा रहे कार्यों का विवरण समय-समय पर एसएलबीसी के साथ साझा करें। उन्होंने आगे एसएलबीसी से वार्षिक सीएसआर रिपोर्ट प्रकाशित करने का अनुरोध भी किया, ताकि राज्य में बैंकों द्वारा संचालित सामाजिक जिम्मेदारी से संबंधित पहलों का समग्र मूल्यांकन संभव हो सके।

(एक्शन- समस्त बैंक एवं एसएलबीसी)

- 91वीं एसएलबीसी बैठक में उठाए गए मुद्दे का संदर्भ देते हुए, श्री ठाकुर ने प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के महत्व पर अपनी चिंता दोहराई, जिसमें झारखंड राज्य में अब तक कोई उल्लेखनीय प्रगति नहीं हुई है। उन्होंने एसएलबीसी से आग्रह किया कि झारखंड बिजली वितरण निगम के वरिष्ठ अधिकारियों को बैठक में आमंत्रित किया जाए तथा योजना की प्रगति पर अगली बैठक में विस्तृत अद्यतन प्रस्तुत किया जाए, क्योंकि इस विषय पर डीएफएस एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा उच्चतम स्तर पर नियमित समीक्षा की जा रही है।

(एक्शन- समस्त बैंक एवं एसएलबीसी)

- डीएफएस के निदेशक ने राज्य में आरएसईटीआई की सीमित संख्या पर चिंता व्यक्त की, यह उल्लेख करते हुए कि आरएसईटीआई के माध्यम से ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षित कर उन्हें रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाते हैं। उन्होंने भारतीय स्टेट बैंक और पंजाब नेशनल बैंक से आग्रह किया कि वे राज्य में आरएसईटीआई की संख्या बढ़ाने में अग्रणी भूमिका निभाएँ।

(एक्शन- भारतीय स्टेट बैंक और पंजाब नेशनल बैंक)

- श्री ठाकुर ने बताया कि वे दिसंबर 2025 में सभी मानदंडों पर बैंकों के प्रदर्शन की समीक्षा करने हेतु एक मध्यावधि बैठक आयोजित करेंगे। उन्होंने नियमित अंतराल पर एसएलबीसी बैठक आयोजित करने के लिए एसएलबीसी झारखंड की सराहना की और बधाई दी।

(एक्शन- सभी सदस्यों की जानकारी हेतु)

- अंत में, श्री ठाकुर ने बैंकों से आग्रह किया कि वे राज्य में नई बैंक शाखाएँ खोलने पर विशेष ध्यान केंद्रित करें, ताकि दूरस्थ एवं बैंकिंग सुविधाओं से वंचित क्षेत्रों तक वित्तीय सेवाएँ पहुँच सकें। उन्होंने कहा कि शाखा विस्तार न केवल वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देगा, बल्कि क्षेत्रीय आर्थिक विकास, उद्यमिता और रोजगार सृजन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। उन्होंने बैंकों से अपेक्षा की कि वे जनसंख्या, भौगोलिक जरूरतों और सेवा-रहित क्षेत्रों को प्राथमिकता देते हुए शाखा खोलने की योजना को गति दें।

(एक्शन- समस्त बैंक)

घ) नाबार्ड के मुख्य महाप्रबंधक श्रीमति दीपमाला घोष का सम्बोधन -

- श्रीमती घोष ने 93वीं एसएलबीसी बैठक में आमंत्रित किए जाने पर आभार व्यक्त किया और बताया कि फसल ऋण के अंतर्गत राज्य का प्रदर्शन मात्र 15 प्रतिशत है। उन्होंने कहा कि 25 लाख केसीसी के लक्ष्य के विरुद्ध केवल 4.85 लाख केसीसी ही स्वीकृत किए गए हैं।

  उन्होंने आगे उल्लेख किया कि भूमि स्वामित्व प्रमाण–पत्र की अनुपलब्धता के कारण बैंकों को किसानों को ऋण उपलब्ध कराने में कठिनाई हो रही है। इस संदर्भ में उन्होंने राज्य सरकार और बैंकों को

सुझाव दिया कि आंध्र प्रदेश, गुजरात, हिमाचल प्रदेश और असम जैसे राज्यो की तर्ज़ पर कृषक प्रमाण–पत्र के आधार पर भूमिहीन किसानों को भी वित्तपोषण प्रदान किया जाए।

(एक्शन- राज्य सरकार एवं समस्त बैंक)

- नाबार्ड की मुख्य महाप्रबंधक ने कहा कि एमएसएमई क्षेत्र आय सृजन और रोजगार उपलब्ध कराने में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है तथा देश के सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 30 प्रतिशत योगदान देता है। उन्होंने आगे बताया कि बैठक में प्रस्तुत आँकड़ों के अनुसार 1,91,000 खातों के माध्यम से कुल 1970 करोड़ रुपये का वितरण किया गया है, जो प्रति खाते औसतन 1.03 लाख रुपये के टिकट आकार को दर्शाता है।

    उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि मुद्रा ऋण के अंतर्गत राज्य में अधिकांश खाते शिशु और किशोर श्रेणी में आते हैं। अतः उन्होंने बैंकों से आग्रह किया कि वे पीएमएमवाई योजनाओं के अंतर्गत ऋण के औसत टिकट आकार में वृद्धि करें।

(एक्शन- समस्त बैंक)

- नाबार्ड की मुख्य महाप्रबंधक ने वित्तीय समावेशन के अंतर्गत प्रस्तुत आँकड़ों पर चर्चा करते हुए कहा कि नाबार्ड अपने वित्तीय समावेशन कोष के माध्यम से राज्य में वित्तीय समावेशन को प्रोत्साहित कर रहा है, जिससे बैंकों को महत्वपूर्ण लाभ मिल रहा है।

    उन्होंने आगे बताया कि सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के अंतर्गत झारखंड राज्य सहकारी बैंक का प्रदर्शन शून्य है। इस पर चिंता व्यक्त करते हुए उन्होंने बैंकों से आग्रह किया कि वे नाबार्ड के वित्तीय समावेशन कोष का अधिकतम उपयोग करें और अधिकाधिक खातों का नामांकन सुनिश्चित करें। उन्होंने अन्य बैंकों को भी नाबार्ड के वित्तीय समावेशन कोष का प्रभावी उपयोग करने का सुझाव दिया।

(एक्शन- समस्त बैंक एवं झारखंड राज्य सहकारी बैंक)

- श्रीमती दीपमाला घोष ने सदन को अवगत कराया कि रामगढ़ जिले में नाबार्ड की दो महत्वपूर्ण योजनाएँ संचालित की जा रही हैं—जनजातीय विकास निधि, जिसके माध्यम से 500 से अधिक परिवारों को लाभान्वित किया जा रहा है, और जीवा परियोजना, जिसका उद्देश्य प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देना है।

    उन्होंने बैंकों को नाबार्ड द्वारा आयोजित इन परियोजनाओं के प्रदर्शन दौरे में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया।साथ ही, उन्होंने अग्रणी बैंक, बैंक ऑफ इंडिया से अनुरोध किया कि वह परियोजना क्षेत्र में एक नई बैंक शाखा खोलने पर विचार करे, जिससे स्थानीय समुदाय को बैंकिंग सेवाओं तक सहज पहुँच मिल सके।

(एक्शन- बैंक ऑफ इंडिया एवं नाबार्ड)

ङ) भारतीय रिजर्व बैंक के क्षेत्रीय निदेशक, श्री प्रेम रंजन प्रसाद सिंह का सम्बोधन -

- श्री प्रेम रंजन प्रसाद सिंह ने 93वीं एसएलबीसी बैठक में सभी प्रतिभागियों का स्वागत किया और कहा कि राज्य में बैंकिंग कार्य निष्पादन के संदर्भ में यह अत्यंत हर्ष का विषय है कि संकल्पबद्ध सामूहिक प्रयासों के परिणामस्वरूप प्रदेश के ऋण–जमा अनुपात में निरंतर तथा उत्तरोत्तर सुधार परिलक्षित हो रहा है। उन्होंने आगे बताया कि 30 सितंबर 2025 तक राज्य का ऋण–जमा अनुपात 52.18% रहा, जो वर्ष-दर-वर्ष 3.89% की वृद्धि को दर्शाता है।

    उन्होंने आगे बताया कि राज्य में गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों (एनपीए) का प्रतिशत घटा है। सितंबर 2024 में यह 5.41% था, जो सितंबर 2025 में घटकर 5.23% हो गया है। हालाँकि, कुल राशि के रूप में एनपीए में लगभग 500 करोड़ रुपये की वृद्धि दर्ज की गई है।

    श्री सिंह ने बैंकिंग संस्थानों में बढ़ते एनपीए के मुद्दे पर चिंता व्यक्त की और कहा कि जब तक गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों पर प्रभावी नियंत्रण नहीं होगा, तब तक ऋण–जमा अनुपात में अपेक्षित वृद्धि संभव नहीं है। उन्होंने आगे सभी वसूली एजेंसियों तथा बैंकों को राज्य में एनपीए स्तर को कम करने के

लिए अधिक सक्रिय भूमिका निभाने की सलाह दी, क्योंकि उच्च एनपीए का सीधा प्रभाव ऋण–जमा अनुपात को कम करने पर पड़ता है।

(एक्शन- - समस्त बैंक एवं राज्य सरकार)

- श्री सिंह ने एनपीए में कमी लाने के लिए उधारकर्ताओं में जागरूकता बढ़ाने की आवश्यकता पर विशेष जोर दिया। उन्होंने कहा कि ग्राम पंचायत स्तर पर आयोजित शिविरों के दौरान भारतीय रिज़र्व बैंक लगातार किसानों को यह जानकारी देने का प्रयास कर रहा था कि केसीसी ऋण समय पर चुकाने पर ब्याज दर प्रभावी रूप से शून्य प्रतिशत रहती है।

  उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि कई स्थानों पर लोगों के बीच यह भ्रांति पाई गई कि केसीसी ऋण भविष्य में माफ कर दिया जाएगा, जो क्रेडिट अनुशासन को प्रभावित करता है। इस पर उन्होंने सभी बैंकों एवं एलडीएम को ऋण अनुशासन, समय पर पुनर्भुगतान तथा योजनाओं के वास्तविक प्रावधानों के बारे में जन-जागरूकता बढ़ाने की सलाह दी।

(एक्शन- समस्त बैंक एवं अग्रणी जिला प्रबन्धक)

- भारतीय रिज़र्व बैंक के क्षेत्रीय निदेशक ने सदन को अवगत कराया कि 01 जुलाई 2025 से 31 अक्टूबर 2025 तक झारखंड राज्य के सभी ग्राम पंचायतों में 04 महीने का FI संतृप्ति अभियान सफलतापूर्वक आयोजित किया गया।

  श्री सिंह ने इस अभियान में सक्रिय रूप से भाग लेकर इसे सफल बनाने वाले सभी बैंकों के प्रति अपना धन्यवाद व्यक्त किया। उन्होंने आगे जानकारी दी कि जनसुरक्षा पोर्टल पर उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार अभियान के दौरान 33.50 लाख खातों में पुनः-केवाईसी (Re-KYC) अद्यतन किया गया। इसके साथ ही, उन्होंने खातों में पुनः-केवाईसी के महत्व और इसके ग्राहक सेवा, खाता सुरक्षा तथा नियामकीय अनुपालन पर पड़ने वाले प्रभावों के बारे में भी सदन को अवगत कराया।

  उन्होंने आगे बताया कि बैंकों के प्रधान कार्यालयों द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक के केंद्रीय कार्यालय को प्रस्तुत किए गए पुनः-केवाईसी आँकड़ों के अनुसार, अभियान अवधि के दौरान झारखंड राज्य में किए गए ग्रामीण पुनः-केवाईसी की कुल संख्या 54 लाख के लक्ष्य के मुकाबले 22.84 लाख रही, जो 41.80 प्रतिशत की उपलब्धि दर्शाती है।

  श्री सिंह ने अवगत कराया कि वे स्वयं तथा भारतीय रिज़र्व बैंक की टीम पूरे अभियान के दौरान सक्रिय रूप से जुड़े रहे और व्यक्तिगत रूप से 25 से अधिक शिविरों का निरीक्षण किया। उनके अनुसार, इस पहल के फलस्वरूप राज्य में विभिन्न बैंकों के राज्य प्रमुखों द्वारा भी व्यापक क्षेत्रीय दौरे किए गए।

  उन्होंने यह भी बताया कि बैंकों के राज्य प्रमुखों को दैनिक प्रगति की समीक्षा करने की सलाह दी गई थी, जिसका सकारात्मक प्रभाव शाखा-स्तरीय कर्मचारियों के कार्य-संचालन पर पड़ा और परिणामस्वरूप शिविरों में उल्लेखनीय प्रगति दर्ज की गई।

  श्री सिंह ने आगे कहा कि अभियान को एक महीने के लिए बढ़ाए जाने के बावजूद बैंकों द्वारा री-केवाईसी कार्य में अपेक्षित प्रगति नहीं हो सकी है। इस पर क्षेत्रीय निदेशक ने सभी बैंकों से री-केवाईसी की गति को तेज और निरंतर बनाए रखने का आग्रह किया है, क्योंकि पीएमजेडीवाई खाते खोले हुए 11 वर्ष बीत चुके हैं तथा झारखंड राज्य में री-केवाईसी का अत्यधिक लंबित मामला मौजूद है।

  श्री सिंह ने आगे बताया कि री-केवाईसी की कुल संख्या के आधार पर झारखंड राज्य देश में प्रतिशत के आधार पर दूसरे स्थान पर है। इस संदर्भ में भारतीय रिज़र्व बैंक के क्षेत्रीय निदेशक ने सभी बैंकों और अग्रणी जिला प्रबंधकों के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि बैंकों को री-केवाईसी की साप्ताहिक रिपोर्टिंग आरबीआई के 'दक्ष' पोर्टल पर नियमित रूप से जारी रखनी है।

(एक्शन- समस्त बैंक एवं अग्रणी जिला प्रबन्धक)

- भारतीय रिज़र्व बैंक के क्षेत्रीय निदेशक ने सदन को 1 अक्टूबर, 2025 से प्रारंभ होने वाले "आपकी पूँजी आपका अधिकार" अभियान के बारे में अवगत कराया। उन्होंने बताया कि इस अभियान का उद्देश्य

राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति BOI झारखंड

भारतीय रिज़र्व बैंक के डीईए फंड खाते में अव्यवस्थित रूप से पड़े सार्वजनिक धन को पात्र लाभार्थियों तक वापस पहुँचाना तथा इस संबंध में व्यापक जनजागरूकता पैदा करना है। उन्होंने यह भी जानकारी दी कि नागरिक अपने नाम की खोज कर यह जान सकते हैं कि उनकी अव्यवस्थित राशि आरबीआई के पास है या नहीं, जिसके लिए "उद्योगम" पोर्टल उपलब्ध कराया गया है।

अंत में, उन्होंने बैंकों से अनुरोध किया कि वे सभी संबंधित एजेंसियों के साथ समन्वय स्थापित कर इस अभियान को सफल बनाने में सक्रिय भूमिका निभाएँ, ताकि अधिक से अधिक लोगों को आर्थिक सहायता मिल सके।

(एक्शन- समस्त बैंक)

- भारतीय रिज़र्व बैंक के क्षेत्रीय निदेशक ने बताया कि दावा न की गई जमा राशि आरबीआई के DEA फंड में स्थानांतरित की जाती है, जिसका उपयोग केंद्रीय बैंक द्वारा विभिन्न वित्तीय जागरूकता अभियानों के संचालन हेतु किया जाता है। उन्होंने सदन को नागरिकों में वित्तीय साक्षरता बढ़ाने के महत्त्व से अवगत कराते हुए बताया कि आरबीआई ने 101 स्कूलों में "जादू से जागरूकता" थीम पर आधारित एक विशेष पहल शुरू की है, जो छात्रों को आकर्षित कर उन्हें आवश्यक वित्तीय जानकारी और व्यवहारिक ज्ञान प्रदान करेगी।

  उन्होंने आगे बताया कि सीएफ़एल (Centre for Financial Literacy) के सहयोग से वित्त वर्ष 2024-25 में दिसंबर तक 10,000 से अधिक वित्तीय जागरूकता शिविर आयोजित किए गए, जबकि वित्त वर्ष 2025 में सितंबर तक यह संख्या 23,000 से अधिक रही। क्षेत्रीय निदेशक ने यह भी उल्लेख किया कि आरबीआई बैंकों को इस उद्देश्य के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध करा रहा है। उन्होंने अन्य नोडल बैंकों से अपेक्षा की कि वे आरबीआई द्वारा प्रदान की गई इस धनराशि का प्रभावी रूप से उपयोग करें और अधिक से अधिक नागरिकों को जागरूक करने में सक्रिय भूमिका निभाएँ।

(एक्शन- SBI, BOI, Indian बैंक)

- श्री सिंह ने स्वच्छ नोट नीति पर अपने विचार रखते हुए बताया कि पिछले वर्ष संचालित अभियान की सफलता, उसके सकारात्मक प्रभाव और प्राप्त उत्कृष्ट परिणामों को ध्यान में रखते हुए इस वर्ष भी अक्टूबर माह में "स्वच्छ मुद्रा अभियान" का पुनः शुभारंभ किया गया है। इस क्रम में, 17 अक्टूबर 2025 को उन्होंने हज़ारीबाग स्थित बैंक ऑफ इंडिया की साकेतपुरी शाखा में "स्वच्छ मुद्रा एवं सिक्का विनिमय शिविर" का उद्घाटन किया।

  उन्होंने आगे कहा कि इस अभियान को और अधिक व्यापक बनाने का लक्ष्य रखा गया है, ताकि सभी शाखाओं तथा अधिकाधिक ग्राहकों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित हो सके। इस अभिनव पहल को सफल बनाने हेतु राज्य में कार्यरत सभी बैंक शाखाओं से अपेक्षा की जाती है कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में अधिक से अधिक नोट विनिमय मेले एवं सिक्का मेले आयोजित करें, जिससे गंदे अथवा क्षतिग्रस्त नोटों का त्वरित और सुगम विनिमय संभव हो सके।

  श्री सिंह ने बताया कि स्वच्छ मुद्रा नीति का मूल उद्देश्य जनता को स्वच्छ, मजबूत और सुरक्षित मुद्रा उपलब्ध कराना है तथा बाजार में प्रचलित क्षतिग्रस्त नोटों को शीघ्रता से अवमूल्यन के लिए वापस लेना है। उन्होंने जोर देकर कहा कि बैंकों द्वारा जनता की सुविधा के लिए शाखाओं तथा अन्य सार्वजनिक स्थलों पर विशेष शिविरों का आयोजन और उनका प्रभावी प्रचार-प्रसार अत्यंत आवश्यक है, ताकि लोगों तक इस पहल की जानकारी समय पर पहुँच सके और वे इसमें उत्साहपूर्वक भाग ले सकें।

(एक्शन- समस्त बैंक)

- भारतीय रिज़र्व बैंक के क्षेत्रीय निदेशक ने यूनिफ़ाईड लेंडिंग इंटरफ़ेस (ULI) के संबंध में जानकारी देते हुए कहा कि जिस प्रकार यूपीआई के माध्यम से डिजिटल लेनदेन प्रतिवर्ष दोगुनी गति से बढ़ रहा है और ग्रामीण आबादी भी बड़ी संख्या में इसका उपयोग कर रही है, उसी तरह आरबीआई ने ऋण वितरण प्रक्रिया को सरल और त्वरित बनाने के उद्देश्य से यूनिफ़ाईड लेंडिंग इंटरफ़ेस विकसित किया है। इस प्रणाली के माध्यम से 1.60 लाख रुपये तक के केसीसी ऋण कुछ ही मिनटों में स्वीकृत किए जा सकेंगे।

राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, BOI, झारखण्ड

उन्होंने आगे बताया कि यूएलआई को अब तक 08 से अधिक राज्यों में लागू किया जा चुका है, किंतु झारखंड में निर्धारित 08 मापदंडों में से केवल 02 मापदंड ही उपयुक्त पाए गए हैं। इसलिए, झारखंड में भूमि-संबंधी अभिलेखों के पूर्ण डिजिटल होने तक इस प्रणाली को लागू करने का कार्य प्रगति पर है।

श्री सिंह ने यह भी उल्लेख किया कि आरबीआई, रांची, झारखंड मिल्क फेडरेशन (JMF) के साथ एमओयू को आगे बढ़ाने के प्रयास कर रहा है। यह प्रस्ताव वर्तमान में जेएमएफ स्तर पर लंबित है। उन्होंने राज्य सरकार से अनुरोध किया कि वे इस महत्वपूर्ण पहल के सफल कार्यान्वयन हेतु आवश्यक सहयोग प्रदान करें।

उन्होंने कहा कि इस कदम से झारखंड राज्य के डेयरी किसानों को पारदर्शी, मानवीय हस्तक्षेप रहित तथा न्यूनतम समय में डिजिटल माध्यम से बाधारहित ऋण उपलब्ध कराया जा सकेगा। एमओयू के अंतिम रूप से स्वीकृत होने पर गुजरात के बाद झारखंड दूसरा राज्य होगा जहाँ इस पायलट प्रोजेक्ट को डेयरी किसानों तक विस्तारित किया जाएगा। उन्होंने जोर देकर कहा कि झारखंड राज्य में ऋण प्रक्रिया के डिजिटलीकरण को आगे बढ़ाकर हम राज्य को इस क्षेत्र में देश के अग्रणी राज्यों में स्थापित कर सकते हैं।

(एक्शन- राज्य सरकार)

- ❖ श्री सिंह ने बताया कि दिनांक 15 नवंबर 2025 को भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा पूर्वी क्षेत्र सांस्कृतिक मिलन कार्यक्रम का भव्य आयोजन किया जा रहा है। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य देश की समृद्ध सांस्कृतिक विविधता को एक साझा और जीवंत मंच प्रदान करना है। इस अवसर पर विभिन्न राज्यों के कलाकार अपनी-अपनी विशिष्ट सांस्कृतिक पहचान का प्रदर्शन करेंगे तथा पारंपरिक ज्ञान, कला और विरासत के आदान-प्रदान को प्रोत्साहित करेंगे।

(एक्शन- सभी सदस्यों की जानकारी हेतु)

च) कार्यकारी निदेशक, बैंक ऑफ इंडिया श्री सुब्रत कुमार का सम्बोधन -

- ❖ बैंक ऑफ इंडिया के कार्यकारी निदेशक ने कहा कि आज की बैठक में कई महत्वपूर्ण विषयों पर व्यापक चर्चा की गई है, जिन पर सभी हितधारकों द्वारा गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए। उन्होंने ऋण–जमा अनुपात, वित्तीय समावेशन अभियान और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के तहत बैंकों के समग्र प्रदर्शन की सराहना की तथा इस उत्कृष्ट कार्य के लिए सभी बैंकों और अग्रणी जिला प्रबंधकों को बधाई दी।

(एक्शन- सभी सदस्यों की जानकारी हेतु)

- ❖ श्री कुमार ने आगे कहा कि कुछ ऐसे क्षेत्र भी हैं जिन पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। उन्होंने उल्लेख किया कि जिन जिलों में ऋण–जमा अनुपात 40 प्रतिशत से कम है, वहाँ स्थिति सुधारने के लिए केंद्रित प्रयास किए जाने चाहिए। साथ ही, जिन स्थानों पर बैंक शाखाएँ अभी भी खोली जानी शेष हैं, वहाँ शीघ्र कार्रवाई आवश्यक है।

  उन्होंने बैंकों और अग्रणी जिला प्रबंधकों से आग्रह किया कि वे ऋण–जमा अनुपात में वृद्धि हेतु ठोस कदम उठाएँ तथा चिन्हित क्षेत्रों में भौतिक बैंक शाखाओं की स्थापना पर प्राथमिकता आधारित ध्यान दें, ताकि वित्तीय सेवाओं की पहुँच और अधिक सुदृढ़ हो सके।

(एक्शन- समस्त बैंक एवं अग्रणी जिला प्रबंधक)

- ❖ बैंक ऑफ इंडिया के कार्यकारी निदेशक ने कहा कि बैंकों को राज्य सरकार एवं केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन पर पूर्ण ध्यान देना चाहिए, ताकि झारखंड राज्य के लोगों का आर्थिक विकास सुनिश्चित हो सके और प्रति व्यक्ति आय में सार्थक वृद्धि हो सके।

(एक्शन- समस्त बैंक)

- ❖ गुरुजी क्रेडिट कार्ड योजना के अंतर्गत लंबित आवेदनों की बड़ी संख्या पर माननीय वित्त मंत्री द्वारा व्यक्त की गई गंभीर चिंता का उल्लेख करते हुए, श्री कुमार ने बैंकों से आग्रह किया कि वे इन आवेदनों का विस्तृत विश्लेषण करें और उन्हें प्राथमिकता के आधार पर शीघ्रता से निपटाएँ। उन्होंने बैंकों को सलाह दी कि वे

राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति BOI झारखण्ड

आयु-वार लंबित आवेदनों की समीक्षा करें तथा 15 दिसंबर 2025 तक सभी लंबित मामलों के निस्तारण को सुनिश्चित करें।

(एक्शन- समस्त बैंक)

- श्री सुब्रत कुमार ने कहा कि डीईए फंड से संबंधित विषय केंद्र सरकार और भारतीय रिज़र्व बैंक के प्रमुख एजेंडा में से एक है। उन्होंने बैंकों और अग्रणी जिला प्रबंधकों से आग्रह किया कि वे राज्य में सभी शिविरों का सफलतापूर्वक आयोजन सुनिश्चित करें तथा पात्र लाभार्थियों के खातों में धनराशि स्थानांतरित कर उन्हें वास्तविक लाभ पहुँचाएँ।

(एक्शन- समस्त बैंक एवं अग्रणी जिला प्रबंधक)

- बैंक ऑफ इंडिया के कार्यकारी निदेशक ने अपने संबोधन में सदन को ग्राहक सेवा के महत्व से अवगत कराया और कहा कि भारतीय रिज़र्व बैंक के माननीय गवर्नर उत्कृष्ट ग्राहक सेवा प्रदान करने पर विशेष जोर देते हैं। उन्होंने आगे उल्लेख किया कि बैंकों के लिए यह आवश्यक है कि वे अपनी शाखाओं के परिसर को स्वच्छ और सुव्यवस्थित रखें तथा ग्राहकों को गुणवत्तापूर्ण, त्वरित और संवेदनशील सेवा प्रदान करने को सर्वोच्च प्राथमिकता दें।

(एक्शन- समस्त बैंक)

- बैंक ऑफ इंडिया के कार्यकारी निदेशक ने कहा कि एसएलबीसी डेटा का समय पर प्रस्तुतीकरण अत्यंत महत्वपूर्ण है, ताकि आवश्यक संकलन कार्य समय पर पूरा हो सके और बैठकें निर्धारित समयानुसार आयोजित की जा सकें। उन्होंने सभी बैंकों और अग्रणी जिला प्रबंधकों से आग्रह किया कि वे एसएलबीसी को डेटा समयबद्ध रूप से प्रदान करना सुनिश्चित करें।

(एक्शन- समस्त बैंक एवं अग्रणी जिला प्रबंधक)

- श्री सुब्रत कुमार ने कहा कि राज्य में सरकारी फ्लैगशिप योजनाओं को प्राथमिकता देना आवश्यक है। उन्होंने बैंकों और अग्रणी जिला प्रबंधकों से आग्रह किया कि वे प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना और प्रधानमंत्री सूर्य गृह योजना के अंतर्गत वित्तपोषण पर विशेष ध्यान केंद्रित करें। उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि बैंकों को इन योजनाओं के अंतर्गत अधिक से अधिक आवेदन प्राप्त करने हेतु बैंकिंग संवाददाताओं की सक्रिय सहायता लेनी चाहिए।

  श्री कुमार ने आगे बताया कि वार्षिक ऋण योजना के अंतर्गत प्राप्त उपलब्धियाँ सकारात्मक दिशा में हैं, और उन्हें विश्वास है कि वित्तीय वर्ष के अंत तक बैंक एसीपी के अंतर्गत अपने निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त कर लेंगे।

(एक्शन- समस्त बैंक एवं अग्रणी जिला प्रबंधक)

- अंत में, श्री कुमार ने एसएलबीसी से अनुरोध किया कि वे आगामी छह महीनों के लिए नई बैंक शाखाएँ खोलने का एक स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित करें। उन्होंने माननीय वित्त मंत्री को यह आश्वासन भी दिया कि बैठक में उठाए गए सभी मुद्दों पर संबंधित हितधारकों द्वारा समुचित ध्यान दिया जाएगा और आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।

(एक्शन-एसएलबीसी)

छ) माननीय वित्त मंत्री, झारखंड सरकार, श्री राधा कृष्ण किशोर का सम्बोधन-

- माननीय वित्त मंत्री श्री राधा कृष्ण किशोर ने कहा कि झारखंड राज्य 15 नवंबर को अपना 25वाँ स्थापना दिवस मनाएगा, और ऐसे अवसर पर यह जानना अत्यंत आवश्यक है कि राज्य के विकास एवं जनकल्याण हेतु विभिन्न एजेंसियों द्वारा कौन-कौन से कार्य किए जा रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि इस एसएलबीसी बैठक में बैंकों की योजनाओं तथा राज्य में उनके योगदान की समीक्षा करना महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे यह सुनिश्चित होता है कि बैंकिंग क्षेत्र द्वारा किए जा रहे प्रयास वास्तव में झारखंड के लोगों के उत्थान में सहायक सिद्ध हो रहे हैं।

(एक्शन- समस्त बैंक)

राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति BOI झारखंड

❖ श्री किशोर ने कहा कि अब तक वे पाँच राज्य स्तरीय बैंकर्स बैठकों में शामिल हो चुके हैं, और इन बैठकों में उन्होंने यह साझा किया है कि सामूहिक रूप से किन विषयों पर कार्य किया जाना चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि इन पाँचों बैठकों में हमने संभावित कार्यों और रणनीतियों पर विस्तृत चर्चा की है, परंतु वास्तविक आवश्यकता इस बात की है कि हम व्यावहारिक स्तर पर कितनी प्रगति कर पाए हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि बैंकर्स को इस दिशा में पूरी गंभीरता और विवेकपूर्ण दृष्टिकोण के साथ कार्य करने की आवश्यकता है।

(एक्शन- समस्त बैंक)

❖ माननीय वित्त मंत्री ने कहा कि चालू वित्त वर्ष की समाप्ति में अब केवल चार माह शेष हैं, इसलिए बैंकरों का मुख्य लक्ष्य इन शेष महीनों में निर्धारित उद्देश्यों की पूर्ण प्राप्ति होना चाहिए—चाहे वे प्राथमिकता क्षेत्र, गैर-प्राथमिकता क्षेत्र, आवास ऋण, अन्य प्राथमिकता क्षेत्र अथवा शिक्षा ऋण से संबंधित हों। उन्होंने बैंकों से आग्रह किया कि वे आगामी महीनों में अपनी पूरी ऊर्जा लक्ष्यों की प्राप्ति पर केंद्रित करें और यह सुनिश्चित करें कि वित्त वर्ष के अंत तक सभी क्षेत्रों में अपेक्षित प्रगति हासिल हो सके।

(एक्शन- समस्त बैंक)

❖ माननीय वित्त मंत्री ने अपने संबोधन में बैंकों को राज्य सरकार की ओर से पूर्ण सहयोग और समर्थन का आश्वासन दिया। उन्होंने जेआरजी बैंक द्वारा उठाई गई चिंता का उल्लेख करते हुए कहा कि बैंक देवघर जिले में सामने आ रही समस्या को उनके समक्ष व्यक्तिगत रूप से प्रस्तुत करे, ताकि राज्य सरकार आवश्यक सहायता प्रदान कर सके। उन्होंने विश्वास दिलाया कि सरकार बैंकिंग प्रणाली को सुदृढ़ बनाने और संचालन में आ रही बाधाओं को दूर करने के लिए हरसंभव सहयोग देगी।

(एक्शन- सभी सदस्यों की जानकारी हेतु)

❖ माननीय वित्त मंत्री ने सदन को बताया कि राज्य का कुल बजट 1,45,400 करोड़ रुपये है, जिसमें कुल 51,000 करोड़ रुपये विभिन्न योजनाओं के लिए आवंटित हैं, जिनमें से 80 प्रतिशत बजट सामाजिक अवसंरचना पर व्यय किया जाता है।उन्होंने आगे कहा कि जब सरकार सामाजिक अवसंरचना से संबंधित कार्य करती है, तो उससे प्रत्यक्ष रूप से आय का सृजन नहीं होता। ऐसे में राज्य में आय सृजन की दिशा में बैंक अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

उन्होंने आगे कहा कि राज्य की अर्थव्यवस्था में आय सृजन का **20** प्रतिशत हिस्सा कृषि और पर्यटन जैसे क्षेत्रों से आता है, और इस सीमित हिस्से के आधार पर सरकार राज्य की अर्थव्यवस्था को वांछित गति से विकसित नहीं कर सकती। ऐसे में बैंकों की भूमिका और भी अहम हो जाती है।

माननीय मंत्री ने बताया कि राज्य की प्रति व्यक्ति आय **1.05** लाख रुपये है, जबकि चतरा, पलामू, गढ़वा जैसे जिलों में यह मात्र **56,000** से **58,000** रुपये के बीच है। इस संदर्भ में उन्होंने कहा कि बैंकों को गंभीरता से समीक्षा करनी चाहिए कि इन जिलों में उन्होंने आर्थिक उत्थान के लिए क्या ठोस योगदान दिया है, जहाँ प्रति व्यक्ति आय अभी भी बहुत कम है।

उन्होंने जोर देकर कहा कि बैंकों का कार्य केवल ऋण वितरित करना भर नहीं है, बल्कि यह भी सुनिश्चित करना है कि ऋण के माध्यम से कितने लोगों को वित्तीय रूप से सशक्त किया गया और उनके जीवन स्तर में वास्तविक सुधार आया।

(एक्शन- समस्त बैंक)

❖ माननीय वित्त मंत्री ने उन बैंकों के प्रति अपनी नाराज़गी व्यक्त की जिन्होंने एसएलबीसी को देरी से डेटा प्रस्तुत किया है, साथ ही उन बैंकों के प्रति भी जिन्होंने अब तक एसएलबीसी को अपेक्षित डेटा प्रस्तुत नहीं किया है।

❖ श्री राधा कृष्ण किशोर ने कहा कि राज्य का कुल बजट 1,45,400 करोड़ रुपये है, जबकि बैंकों की वार्षिक ऋण योजना (ACP) लगभग 1,49,182 करोड़ रुपये है। उन्होंने आगे बताया कि कृषि मद में राज्य सरकार का बजट मात्र 3,000–4,000 करोड़ रुपये है, जबकि कृषि क्षेत्र के लिए एसीपी लक्ष्य लगभग 35,822 करोड़ रुपये निर्धारित है।

उन्होंने यह भी कहा कि सितंबर **2025** तक कृषि क्षेत्र में राज्य की उपलब्धि केवल **22** प्रतिशत है, जो अत्यंत निराशाजनक है। माननीय मंत्री ने कृषि क्षेत्र में कमजोर प्रदर्शन पर अपनी कड़ी नाराज़गी व्यक्त की और खराब उपलब्धि वाले बैंकों की विस्तृत समीक्षा करने की सलाह दी।

(एक्शन-एसएलबीसी)

- माननीय वित्त मंत्री, श्री राधा कृष्ण किशोर ने कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR) का विषय उठाते हुए कहा कि बैंक अपनी CSR राशि को निर्धारित स्थानों और प्राथमिक क्षेत्रों में व्यय नहीं कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि उन्होंने वित्त सचिव को, केंद्र सरकार के निर्देशानुसार, बैंकों द्वारा CSR निधि के उपयोग के लिए एक मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) तैयार करने का सुझाव दिया है। श्री किशोर ने यह भी उल्लेख किया कि राज्य में बैंक अपनी CSR निधि उन क्षेत्रों में खर्च कर रहे हैं, जहाँ राज्य सरकार पहले से ही बजट का प्रावधान कर चुकी है, जो कि CSR के उद्देश्यों के अनुरूप नहीं है।

  माननीय वित्त मंत्री ने सुझाव दिया कि बैंक अपने CSR के माध्यम से एक-एक गाँव को गोद लें, और उन गाँवों में जल संरक्षण, चेकडैम निर्माण, बिजली व्यवस्था, स्कूल, अस्पताल जैसी बुनियादी सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण पर कार्य करें।

  उन्होंने आगे कहा कि बैंकों द्वारा **CSR** गतिविधियों का उपयोग गाँवों में तालाब निर्माण के लिए भी किया जा सकता है, जहाँ मत्स्य उत्पादन (**Fishery)** को बढ़ावा दिया जा सके। इसके अतिरिक्त, उन्होंने सुझाव दिया कि ग्राम स्तर पर दुग्ध उत्पादन बढ़ाने तथा आजीविका सुधारने के लिए भी **CSR** निधि का प्रभावी उपयोग किया जा सकता है।

  उन्होंने जोर देकर कहा कि यदि बैंक **CSR** के तहत इन क्षेत्रों में कार्य करें, तो इससे न केवल ग्रामीण अर्थव्यवस्था सशक्त होगी, बल्कि राज्य के समग्र विकास में भी महत्वपूर्ण योगदान मिलेगा।

(एक्शन- समस्त बैंक)

बैठक के अंत में, एसएलबीसी के उप महाप्रबंधक श्री संतोष कुमार सिन्हा ने एस.एल.बी.सी की 93वीं बैठक में शामिल सदस्यों के लिए धन्यवाद ज्ञापन किया। सभा का संचालन श्रीमती प्राची मिश्रा,प्रबन्धक, रा. स्त. बै. स द्वारा किया गया।

(गुरु प्रसाद गोंड)

महाप्रबंधक, रा. स्त. बै. स.

93वीं एसएलबीसी बैठक, सितंबर 2025

12 नवम्बर 2025, प्रोजेक्ट भवन धुर्वा, राँची

क्रमांक	नाम	पद	विभाग	संपर्क
1	श्री राधा कृष्ण किशोर	माननीय वित्त मंत्री	झारखंड सरकार	
2	श्री सुब्रत कुमार	कार्यकारी निदेशक बैंक ऑफ इंडिया	बैंक ऑफ इंडिया, प्रधान कार्यालय	
3	श्री अंजनी कुमार ठाकुर	निदेशक	वित्त सेवाएँ विभाग, भारत सरकार	
4	श्री संदीप सिंह, भा०प्र०से	विशेष सचिव	वित्त विभाग, झारखंड सरकार	
5	श्री सुधीर बाड़ा	निदेशक	उच्च, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग	
6	श्री प्रेम रंजन प्रसाद सिंह	क्षेत्रीय निदेशक	भारतीय रिजर्व बैंक	
7	श्रीमति दीपमाल घोष	मुख्य महाप्रबंधक	नाबार्ड	
8	श्री गुरु प्रसाद गोंड	महाप्रबंधक	बैंक ऑफ इंडिया, एसएलबीसी	
9	श्री आर एस भगवाने	महाप्रबंधक	नाबार्ड	941016067
10	श्रीमति मंजु रानी स्वांसी	संयुक्त सचिव	राजस्व विभाग	7488473953
11	श्री संतोष कुमार सिन्हा	उप महाप्रबंधक	एसएलबीसी	
12	श्रीमती बिमला भगत	उप महाप्रबंधक	भारतीय रिज़र्व बैंक	
13	श्री अवधेश कुमार झा	उप महाप्रबंधक	पंजाब नेशनल बैंक	7044079919
14	श्री विवेक चन्द्र जयसवाल	महाप्रबंधक	भारतीय स्टेट बैंक	9205459673
15	श्री अंशुमन हलदर	उप महाप्रबंधक	आईडीबीआई बैंक लिमिटेड	9920613772
16	श्री संजय कुमार मिश्रा	उप महाप्रबंधक	केनरा बैंक	7398292434
17	श्री दीपशंकर	उप महाप्रबंधक	बैंक ऑफ इंडिया	
18	श्री मदन मोहन बरियार	अध्यक्ष	जेआरजी बैंक	9304118032
19	श्री प्रदीप हजारी	विशेष सचिव	कृषि विभाग	9441821911
20	श्री राजेश शरण	उप महाप्रबंधक	इंडियन बैंक	9800005483
21	श्री कृष्ण मोहन नेहरू	सहायक महाप्रबंधक	पंजाब नेशनल बैंक	9557760628
22	श्री आर सी गोयल	उप महाप्रबंधक	सेंट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया	9264291876
23	श्री आलोक कुमार	उप महाप्रबंधक	यूनियन बैंक ऑफ़ इंडिया	8328367992
24	श्री नीलमणि	उप महाप्रबंधक	बैंक ऑफ़ बड़ौदा	7261096555
25	श्री मनीष कुमार	उप महाप्रबंधक	इंडियन ओवरसीज़ बैंक	8925952845
26	श्री अजय कुमार पांडे	सहायक महाप्रबंधक	बैंक ऑफ इंडिया	8986723975
27	श्री राजेश कुमार चौबे	एवीपी	उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक	9334616474
28	श्री संजय कुमार सिंह	सीईओ	झारखंड राज्य सहकारी बैंक	8084173101
29	श्री अमन आदित्य	सहायक प्रबंधक	राष्ट्रीय आवास बैंक	8448291940
30	श्री प्रमोद कुमार	उप महाप्रबंधक	नाबार्ड	8789657697
31	श्री अजय कुमार दूबे	मुख्य प्रबंधक	बैंक ऑफ महाराष्ट्र	9630785957
32	श्री पुष्कर चौधरी	प्रबंधक	नाबार्ड	8587829222
33	श्री राजकुमार गुप्ता	महाप्रबंधक	जेआरजी बैंक	9204756198
34	श्री संजय कुमार	सहायक महाप्रबंधक	जेआरजी बैंक	8709316664
35	श्री अरविन्द एक्का	सहायक महाप्रबंधक	भारतीय रिजर्व बैंक	
36	श्री सनी	प्रबंधक	भारतीय रिजर्व बैंक	8809501850
37	श्री कमलेश मंडल	सहायक महाप्रबंधक	भारतीय स्टेट बैंक	8002504680
38	श्री बर्दन नागद्वार	वरिष्ठ प्रबंधक	इंडियन बैंक	9304886075
39	श्री प्रशांत कुमार झा	सहायक. महाप्रबंधक	भारतीय स्टेट बैंक	6203221028
40	श्रीमती ज्योति कुमारी	शाखा प्रमुख	डीबीएस बैंक	7547088880
41	श्री कुमार राहुल	मैनेजर	भारतीय स्टेट बैंक	9689783711
42	श्री परिशेष पाठक	मुख्य प्रबंधक	झारखंड राज्य सहकारी बैंक	
43	श्री प्रताप होरो	सहायक प्रबंधक	बैंक ऑफ महाराष्ट्र	9049724477
44	श्री मांगे राम	निदेशक	केवीआईसी	
45	श्री राजीव कुमार	सहायक निदेशक	केवीआईसी	9474059775
46	श्री भावना सिन्हा	क्षेत्रीय प्रबंधक	यूको बैंक	7004553456
47	श्री धीरज कुमार होरो	एसपीएम-एफआई	जेएसएलपीएस	8969170434
48	एमडी आसिफ	पीएमयू	उच्च, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग	8984949220
49	श्रीमति उमा देवी	पीएमयू	उच्च, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग	9557942686
50	श्री शिवम सिंह	मानद सचिव	जेएसआईए	9835334399
51	श्री हरी प्रसाद बियानी	अध्यक्ष	जेएसआईए	8002685608
52	श्रीमति निधि झुंझुंवाला	वकील	अध्यक्ष,एफजेसीसीआई	9534883100
53	श्री विनय कुमार	मुख्य कार्यकारी कार्यालय	धनबाद सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड	9430145773
54	श्री सुरेन्द्र कुमार सुमन	अवर सचिव	वित्त विभाग	9431176431
55	श्री सुशील कुमार	सहायक महाप्रबंधक	राष्ट्रीय आवास बैंक	7506173514
56	श्री के कर्तिक	क्लस्टर प्रमुख	कर्नाटक बैंक	8861682164
57	श्री सुबोध रंजन शतपथी	मुख्य प्रबंधक	पंजाब एंड सिंध बैंक	9853536833
58	श्री प्रबोध कुमार	वरिष्ठ प्रबंधक	केनेरा बैंक	7520201560
59	श्री मुकेश मिश्रा	प्रबंधक	बैंक ऑफ़ बड़ौदा	6287395612
60	श्री सुशील कुमार	प्रबंधक	इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक	7903233764
61	श्री रियाज़ अहमद	शाखा प्रबंधक	जम्मू और कश्मीर बैंक लिमिटेड	9797987069
62	श्री अंगद राय	उपाध्यक्ष एवं क्षेत्रीय प्रबंधक	कोटक महिंद्रा बैंक	9932290705
63	श्री किशोर झा	बीडीओ	ईएसएएफ स्मॉल फाइनेंस बैंक	7593898451
64	श्री अनमोल कुमार	शाखा प्रबंधक	ईएसएएफ स्मॉल फाइनेंस बैंक	9077949040
65	श्री शशांक भूषण	एवीपी	फेडरल बैंक	8917606314
66	श्री मनीष सिन्हा	वीपी एवं सीएच	यस बैंक	9934010122
67	श्री शैलेन हलदर	एवीपी	उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक	7542035157
68	श्री हरिचंद मुर्मू	वरिष्ठ प्रबंधक	यूको बैंक	9792301920
69	श्री सप्तर्षि समानता	क्षेत्रीय नोडल अधिकारी	आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड	9334489624
70	श्री अशोक साहु	क्षेत्रीय प्रमुख	बंधन बैंक	9534130002

71	श्री फरहान जलीली	क्षेत्रीय प्रमुख	जाना स्मॉल फाइनेंस बैंक	7280073087
72	श्री उत्तम कुमार रॉय	सहायक उपाध्यक्ष	एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड	9471307413
73	श्री पीयूष कुमार मोदी	मुख्य प्रबंधक	सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया	9264291878
74	श्री अरुण वी मोहनन	प्रबंधक	साउथ इंडियन बैंक लिमिटेड	9048874928
75	श्री सुमन कुमार मित्रा	सहायक प्रबंधक	करूर वास्या बैंक	9732069646
76	श्रीमति अल्पना शार्मा	प्रबंधक	सिटी यूनियन बैंक	8777344082
77	श्री राजीव मिश्रा	क्षेत्रीय प्रमुख	फिनो पेमेंट बैंक	9670526856
78	श्री शैलेन्द्र झा	क्षेत्रीय प्रमुख	फिनो पेमेंट बैंक	9955996520
79	श्री अदित्या पांडे	क्लस्टर प्रमुख	एचडीएफसी बैंक लिमिटेड	9334145178
80	श्री सुरयानशु वर्मा	क्षेत्रीय प्रमुख एवं वरिष्ठ उपाध्यक्ष	एचडीएफसी बैंक लिमिटेड	9162646931
81	श्रीमती बिपाशा चौधरी	वरिष्ठ उपाध्यक्ष	एक्सिस बैंक	9830050062
82	श्री अनिल कुमार	एस एन ओ आरसेटी	जेएसएलपीएस	9431901016
83	श्री कुयमरुल होदा	राज्य प्रमुख	इंडसइंड बैंक	9830992994
84	श्री तुषार कांति पटनायक	राज्य प्रमुख	इंडसइंड बैंक	9937002677
85	श्री सैयद शब्बीर अख्तर	क्षेत्रीय प्रमुख	आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड	9771499046
86	श्री सुभाष कुमार	उपाध्यक्ष	एक्सिस बैंक	7260811600
87	श्री शशांक भूषण	AVP	फेडरल बैंक	8917606314
88	मुहम्मद दीलुप	डीएमए	आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड	
89	श्री आबिद हुसैन	बोकारो	अग्रणी जिला प्रबंधक	8451978491
90	श्री अहसान अहमद	चतरा	अग्रणी जिला प्रबंधक	7236935784
91	श्री तोफन सेनापती	राज्य प्रमुख	एयरटेल पेमेंट बैंक	9937049364
92	श्री विक्रम कुमार	सीडीएच	एयरटेल पेमेंट बैंक	7541049105
93	श्री अमित कुमार	धनबाद	अग्रणी जिला प्रबंधक	7667341713
94	श्री संजीव कुमार चौधरी	पूर्वी सिंहभूम	अग्रणी जिला प्रबंधक	9735825487
95	श्री अमृत चौधरी	गिरिडीह	अग्रणी जिला प्रबंधक	8210169991
96	श्री पवन कुमार	गुमला	अग्रणी जिला प्रबंधक	8828341775
97	अनुपस्थित		आरबीएल बैंक	
98	श्री किशोर कुमार	हज़ारीबाग	अग्रणी जिला प्रबंधक	9572016960
99	श्री ऋषिकेश कुमार	खूंटी	अग्रणी जिला प्रबंधक	7717706616
100	श्री विमल कांत झा	कोडरमा	अग्रणी जिला प्रबंधक	7710967100
101	श्री नितिन कुमार	लोहरदगा	अग्रणी जिला प्रबंधक	9835234652
102	श्री दिलीप महली	रामगढ़	अग्रणी जिला प्रबंधक	7796504828
103	श्री अजित कुमार	रांची	अग्रणी जिला प्रबंधक	
104	श्री बरुण कुमार चौधरी	सरायकेला खरसावां	अग्रणी जिला प्रबंधक	7903255293
105	श्री सानिस मिंज	सिमडेगा	अग्रणी जिला प्रबंधक	7991140367
106	श्री दिवाकर सिन्हा	पश्चिम सिंहभूम	अग्रणी जिला प्रबंधक	8936802753
107	श्री आशुतोष कुमार सिंह	दुमका	अग्रणी जिला प्रबंधक	7979834334
108	श्री चंदन चौहान	गोड्डा	अग्रणी जिला प्रबंधक	7781919295
109	श्री राहुल रंजन	देवघर	अग्रणी जिला प्रबंधक	9771435410
110	श्री एस के रंजन	गढ़वा	अग्रणी जिला प्रबंधक	9934363709
111	श्री बालादित्य कुमार	जामताड़ा	अग्रणी जिला प्रबंधक	9341529204
112	श्री नरेन्द्र श्रीवास्तव	लातेहार	अग्रणी जिला प्रबंधक	7781011677
113	श्री अमित कुमार सिंह	पाकुर	अग्रणी जिला प्रबंधक	9470230901
114	श्री अशोक कुमार श्रीवास्तव	पलामू	अग्रणी जिला प्रबंधक	9934363710
115	श्री सुधीर कुमार	साहिबगंज	अग्रणी जिला प्रबंधक	9771438409
116	श्री रोशन चौधरी		राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति	
117	श्रीमती प्राची मिश्रा		राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति	
118	श्री प्रशांत कुमार		राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति	
119	श्री कुमार ऋषव		राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति	
120	श्री कौशाल किशोर		राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति	
121	श्री अश्विनी कुमार		राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति	
122	श्री सुमित कुमार		राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति	
123	श्रीमति शिल्पी भाटिया		राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति	
124	श्रीमती प्रेरणा प्रियंवदा		राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति	
125	श्री शैलेश कुमार		राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति	